न्यायालय तहसीलदार गडरारोड,जिला बाडमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 07/19 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल		गैरसायल
राजस्थन सरकार जरिये	बनाम	श्री चन्दनसिंह पुत्र वख्तावर सिंह
पटवारी हल्का गिराब		जाति राजपूत निवासी गिराब तहसील गडरारोड जिला बाडमेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उपै./अनु । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने धारा 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुम्हड़िया खसरा नम्बर 645 रकबा 2450.03 बीघा में से 20 बीघा किस्म ओरण गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पच्चास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए .पटवारी हल्का . निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 27.05.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुर्माना 50 फसल नि. 13900/-
कुल योग 13950/- जि.के पृष्ठ सं. 24
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned with CamScanner